उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008
दूरभाष नं0– 0135–2662021, फैक्स नं0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब:http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 10868 / उ0सू0आ0 / 2025–26 दिनांक 24.10. 2025

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप प्राप्त प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई में प्रायः संज्ञान में आता है कि विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत विधिवत प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिस कारण से अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त होने में विलम्ब होता है। अधिनियम के तहत प्रथम अपील का निस्तारण भी एक अर्द्ध–न्यायिक प्रकिया है जिसका अनुपालन करना अपीलीय अधिकारी का नैतिक दायित्व है।

प्रथम अपील के निस्तारण के समय अपीलीय अधिकारियों से जो अपेक्षित है उसका विवरण निम्न प्रकार से हैं –

क्रम	**अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रायः की जाने वाले कार्यवाही जो उचित नहीं है**	**अपीलीय अधिकारी से प्रथम अपील के समय अपेक्षित कार्यवाही**
1.	प्राप्त प्रथम अपील का अपील पंजिका में अंकन न किया जाना	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्राप्त प्रथम अपील हेतु निर्धारित पंजिका में पंजीकृत किया जाए और पंजिका के समस्त कालम को पूर्ण किया जाए।
2.	प्रथम अपील का आधार अस्पष्ट होने पर प्रथम अपील के सुनवाई के नोटिस में ही स्थिति स्पष्ट करने हेतु अपीलकर्ता से अनुरोध किया जाना चाहिए	अपीलकर्ता ने प्रथम अपील किस आधार पर की है, का परीक्षण अपीलीय अधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। प्रायः अपीलकर्ता के द्वारा अपने अपीलीय पत्र में "लोक सूचना अधिकारी ने मांगी गयी सूचना सही नहीं दी है" या "प्रदान की गयी सूचना भ्रामक है" या "सूचना असत्य दी गयी है" इत्यादि का उल्लेख करते हुए सही सूचना दिलाए जाने का अनुरोध किया जाता है। सूचना के सही न होने या भ्रामक होने या असत्य होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है। प्रथम अपील का आधार अस्पष्ट होने पर प्रथम अपील के सुनवाई के नोटिस में ही स्थिति स्पष्ट करने हेतु अपीलकर्ता से अनुरोध किया जाना चाहिए। इसके उपरान्त भी सुनवाई के समय तक यदि अपीलकर्ता के द्वारा प्रथम अपील का आधार स्पष्ट नहीं किया जाता है तो सूचना का अनुरोध

		पत्र और लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी सूचना का परीक्षण करते हुए यदि किसी बिन्दु की सूचना प्रदान किया जाना अवशेष है तो उक्त बिन्दु का प्रथम अपील के आदेश में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सूचना दिए जाने के आदेश दिए जाएं और यदि कोई सूचना दिया जाना अवशेष नहीं हैं तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में किया जाना चाहिए।
3.	अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रायः लोक सूचना अधिकारी को "अनुरोध पत्र का पुनः परीक्षण कर अवशेष सूचना प्रदान किये जाने" या "प्रथम अपील के अनुरूप सूचना दिए जाने के" या "यदि कोई सूचना अवशेष रह गयी हो तो प्रदान कर दी जाएं" जैसी टिप्पणी के साथ प्रथम अपील में आदेश दिए जाते हैं	अपीलीय अधिकारी से अपेक्षित है कि वे अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी सूचना और अपीलकर्ता के द्वारा प्रथम अपील में की गयी आपत्ति का परीक्षण करते हुए, अनुरोध पत्र के सापेक्ष किसी बिन्दु विशेष की कोई सूचना दी जानी है तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में किया जाए और यदि कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख आदेश में किया जाए।
4.	प्राप्त अपील में यथाशीघ्र 15 दिन के अन्दर की तिथि नियत न किया जाना और बिलम्ब के कारण का उल्लेख आदेश में न किया जाना	अपीलीय अधिकारी का प्रयास होना चाहिए कि वे यथासम्भव अपील प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर के प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि नियत करते हुए उसकी समय पर सूचना लोक सूचना अधिकारी और अपीलकर्ता को प्रदान करें। पक्षकारों को इसकी सूचना सुनवाई से कम से कम 5 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपूर्ण सूचना दिए जाने की पुष्टि होने पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अवशेष सूचना अनुरोधकर्ता को प्रेषित किये जाने के लिए आदेशित करते हुए प्रथम अपील की अगली तिथि आगामी 15 दिन के अन्दर की प्रदान की जानी चाहिए। अगली तिथि को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा समस्त सूचना प्रदान कर दी गयी है, की पुष्टि होने पर प्रथम अपील का निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि फिर भी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो अपीलकर्ता को पूर्ण सूचना दिलाए जाने हेतु अगली तिथि आगामी 15 दिन के अन्दर की प्रदान की जा सकती है। **परन्तु प्रथम अपील का निस्तारण प्रत्येक स्थिति में अधिकतम 45 दिवस के अन्दर अवश्य किया जाए। प्रथम अपील के निस्तारण में यदि 30 दिन से अधिक का समय लगता है तो ऐसे विलम्ब के कारण का स्पष्ट उल्लेख भी आदेश में अवश्य किया जाए।**
5.	मांगी गयी सूचना यदि तृतीय पक्ष से संबंधित है और तृतीय पक्ष की सूचना अपीलकर्ता को प्रदान किये जाने का अपीलीय अधिकारी का मत है तो ऐसी स्थिति में तृतीय पक्ष का पक्ष न सुना जाना	अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 का पूर्णतः अनुपालन करना चाहिए। उचित होगा कि मांगी गयी सूचना यदि तृतीय पक्ष से संबंधित है और तृतीय पक्ष की सूचना अपीलकर्ता को प्रदान किये जाने का अपीलीय अधिकारी का मत है तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपील के सुनवाई के नोटिस में ही अधिनियम की धारा 11 के तहत **तृतीय पक्ष को भी** सूचना दिए जाने अथवा न दिए जाने के सम्बंध में सुनवाई से पूर्व लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

		अपीलीय अधिकारी के द्वारा यदि तृतीय पक्ष की सूचना अपीलकर्ता को दिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे स्थिति में अपने निर्णय से तृतीय पक्ष को भी अवगत कराया जाएगा जिससे तृतीय पक्ष यदि अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो तृतीय पक्ष भी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रथम अपील के निर्णय के विरूद्ध आयोग में द्वितीय अपील कर सके। तृतीय पक्ष से यह भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि यदि वे उनके निर्णय के विरूद्ध आयोग में द्वितीय अपील करना चाहते हैं तो आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को अवश्य अवगत करा दें अन्यथा की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना अनुरोधकर्ता को प्रदान कर दी जाएगी।
6.	सुनवाई में **अपीलकर्ता के अनुपस्थित होने के आधार** पर प्रथम अपील की सुनवाई हेतु 2–3 बार तिथि निर्धारित की जाती है।	यदि प्रथम अपील की सुनवाई में अपना पक्ष रखे जाने हेतु अपीलकर्ता को अवसर प्रदान कर दिया गया है और अपीलकर्ता के द्वारा प्रथम अपील के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया है तो अपीलीय अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र और लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की सूचना और प्रथम अपील के आधार को ध्यान में रखने हुए प्रथम अपील का निस्तारण करना चाहिए। प्रथम अपील के निस्तारण हेतु बार–बार तिथि प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
7.	प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अन्य तिथि दिए जाने अथवा दूरभाष पर सुने जाने का अनुरोध किया जाने पर, अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार किया जाना	अपीलकर्ता के द्वारा यदि किसी विशेष कारण से सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु कोई अन्य तिथि प्रदान किये जाने का अनुरोध किये जाने पर संशोधित तिथि प्रदान की जानी चाहिए। अनुरोधकर्ता के द्वारा विशेष परिस्थितियों में दूरभाष के माध्यम से पक्ष रखे जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर उनका पक्ष दूरभाष के माध्यम से सुना जाए।
8.	लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग जाने पर भी निःशुल्क सूचना दिए जाने के आदेश दिया जाना	लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यदि नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी है और अपीलकर्ता के द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा न करते हुए निःशुल्क सूचना दिलाए जाने का अनुरोध किया गया है तो ऐसी स्थिति में निःशुल्क सूचना दिए जाने के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। सूचना का अनुरोध पत्र सीधे अथवा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित होकर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को जिस दिन प्राप्त होता है उस दिन से 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान की जानी होती है जिसमें शुल्क की मांग किया जाना भी शामिल है। 30 दिन के उपरान्त अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र डाक के द्वारा प्रेषित किये जाने की तिथि से शुल्क कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि की समयावधि 30 दिन की निर्धारित समयावधि में नहीं जोड़ी जानी है। अपीलकर्ता के द्वारा कभी–कभी उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 की धारा 7(क) के उल्लेख करते हुए यह कथन किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने एक सप्ताह के अन्दर अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की गयी है अतः मांगी गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क दिलाई जाएं। उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 की धारा 7(क) में "अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को

		यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाए" का प्रावधान है परन्तु उक्त समयावधि को निःशुल्क सूचना प्रदान करने का आधार नहीं माना जा सकता है। मांगी गयी सूचना यदि वृहद है अथवा मांगी गयी सूचना विभिन्न पटलों से एकत्र की जानी हैं जिसमें समय लगना स्वाभाविक है, तो ऐसी स्थिति में शुल्क की मांग यथासम्भव शीघ्रता से परन्तु किसी भी स्थिति में अनुरोध पत्र प्राप्ति के 30 दिन के उपरान्त नहीं की जानी है। शुल्क की मांग अनुरोध पत्र के प्राप्ति के 30वें दिन किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में जिस दिन शुल्क प्राप्त होता है, उसी दिन सूचना अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जानी होगी।
9.	प्रथम अपील के निस्तारण के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8, 9, 10 एवं 11 का अनुपालन न किया जाना।	यदि मांगी गयी सूचना धारा 8, 9, 10 अथवा 11 से संबधित है तो प्रथम अपील के निस्तारण के समय अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त धाराओं में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए, छूट प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में अपने मत का स्पष्ट उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में किया जाए।
10	अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी अपने समस्त पत्राचारों में अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, मो0न0/फोन नम्बर, ई–मेल आई0डी0, पत्राचार का पूर्ण पता का उल्लेख न किया जाना	अपीलीय अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले समस्त पत्राचारों में अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, मो0न0/फोन नम्बर, ई–मेल आई0डी0, पत्राचार का पूर्ण पता का उल्लेख किया जाए।
11.	आदेश की प्रति पक्षकारों को प्रदान न किया जाना व द्वितीय अपील की समयावद्धि ओर द्वितीय अपील हेतु पूर्ण का उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में न किया जाना।	प्रथम अपील के आदेश की प्रति सभी पक्षकारों को समयान्तर्गत अवश्य प्रेषित की जाए। अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण आदेश में अपना नाम व पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रथम अपील के निस्तारण आदेश से संतुष्ट न होने पर 90 दिन के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकती है। द्वितीय अपील हेतु "सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंड रोड, लाड़पुर देहरादून –248008" के पते की जानकारी भी प्रथम अपील के निस्तारण आदेश में अवश्य दी जाए।
12.	प्रथम अपील की संशोधित तिथि की जानकारी यथाशीघ्र प्रदान न किया जाना	किसी कारणवश प्रथम अपील की सुनवाई को अपीलीय अधिकारी के द्वारा स्थगित किया जाता है तो अपीलीय अधिकारी को यथाशीघ्र इसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी के साथ–साथ अनुरोधकर्ता को यदि दूरभाष नम्बर या ई–मेल उपलब्ध है, तो इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। यदि सूचित किये जाने हेतु पर्याप्त समय है तो यथाशीघ्र संशोधित तिथि का पत्र संबंधित को प्रेषित किया जाना चाहिए।
13.	जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रथम अपील का निस्तारण शीघ्रता से न किया जाना	जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित ऐसे अनुरोध पत्र, जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में प्रदान नहीं की गयी है, या नियम विरूद्ध शुल्क की मांग की गयी है या ऐसे अनुरोध जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने से अस्वीकार कर दिया गया या ऐसे अनुरोध किसी अन्य कारण से अस्वीकार किया गया है, के सापेक्ष अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्राप्त होती है तो ऐसी प्रथम अपील की सुनवाई शीघ्र करते हुए, उसका निस्तारण किया जाए। यदि अपीलीय

		अधिकारी का निष्कर्ष है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं है, तो भी वह अपने निष्कर्ष से कारणों सहित जहां तक सम्भव हो 48 घंटे के भीतर अपीलकर्ता को अवगत करेंगा।
14.	प्रथम अपील के समय यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित पत्रावली के न मिलने अथवा खो जाने के कारण सूचना न दिया जाना संज्ञान में आने पर पत्रावली के पुनर्सृजन की कार्यवाही न किया जाना और उत्तरदायित्व का निर्धारण न किया जाना।	प्रथम अपील के समय यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित पत्रावली के न मिलने अथवा खो जाने के कारण सूचना न दिया जाना संज्ञान में आता है तो अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि वे इसकी सूचना लिखित में संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रदान करें जिससे संबंधित नियंत्रक अधिकारी के द्वारा नियमानुसार पत्रावली के पुनः सृजिन हेतु कार्यवाही की जा सके और इस हेतु उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

प्रथम अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र पर की गयी कार्यवाही से संबधित निम्न तथ्यों का संज्ञान अवश्य लिया जाए और नियमानुकूल न पाये जाने पर उसका उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में अवश्य किया जाना चाहिए –

I. अपीलकर्ता का अनुरोध पत्र निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त हुआ है यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का नहीं है। अनुरोध पत्र नाम से और स्वःहस्ताक्षरित होना चाहिए।
II. अपीलकर्ता का सूचना का अनुरोध पत्र किस तिथि का है और अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को किस तिथि को प्राप्त हुए।
III. लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता से समय से अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी अथवा नहीं।
IV. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की गणना उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 6 के अनुरूप की गयी है।
V. सूचना का अनुरोध पत्र यदि लोक सूचना अधिकारी को अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तो जिस दिन अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त हुआ है उस दिन से सूचना प्रदान किये जाने की समयावधि का आगणन किया जाएगा।
VI. मांगी गयी सूचना का कोई बिन्दु यदि अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो अनुरोध पत्र निर्धारित 5 दिन के अन्दर अंतरित किया गया है या नहीं का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।
VII. मांगी गयी सूचना यदि तृतीय पक्ष से संबंधित है और ऐसी सूचना को दिए जाने का निर्णय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा लिया गया है तो इस हेतु धारा 11 का अनुपालन करते हुए तृतीय पक्ष से उनका मत लोक सूचना अधिकारी के द्वारा लिया गया अथवा नहीं।
VIII. लोक सूचना अधिकारी ने यदि अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र को अस्वीकार किया है तो सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के आधार पर किया गया है ? की जानकारी अनुरोधकर्ता को दी गयी है। क्या अस्वीकार किये जाने का आधार सही है या नहीं ?
IX. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र अस्वीकार किये जाने या अतिरिक्त शुल्क की मांग किये जाने या सूचना प्रेषित करते समय या जीवन और स्वतन्त्रता

से संबंधित सूचना अच्छादित न होने के 48 घण्टे में न दिए जाने के निर्णय के विरूद्ध यदि अनुरोधकर्ता प्रथम अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पूर्ण पता के साथ–साथ प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर की जा सकती है, की सूचना अनुरोधकर्ता को प्रदान की गयी है अथवा नहीं का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।

X. लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये गये समस्त पत्राचार, पंजीकृत डाक और समस्त पत्राचार में लोक सूचना अधिकारी ने अपना नाम, पदनाम, मो0न0/फोन नम्बर, ई–मेल आई0डी0, पत्राचार का पूर्ण पता का उल्लेख किया जाए।

XI. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित है ?

XII. सहायक लोक सूचना अधिकारी या कृते लोक सूचना अधिकारी के रूप में किसी ऐसे कार्मिक के द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को प्रेषित तो नहीं की गयी है जोकि लोक सूचना अधिकारी नहीं है।

XIII. जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित सूचना को 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। मांगी गयी सूचना यदि लोक सूचना अधिकारी को जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित न होना पाये जाने पर भी लोक सूचना अधिकारी को 48 घण्टे के अन्दर अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाना होता है कि मांगी गयी सूचना जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित न होने के कारण अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त का अनुपालन किया गया या नहीं।

सूचना प्राप्त करना भारत के नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। सूचना मांगने वाले नागरिक के साथ समस्त कार्मिकों के द्वारा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। प्रथम अपील की सुनवाई में अपीलकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के उपस्थित होने पर उनके साथ सौहार्द्रपूर्ण भद्र व्यवहार किया जाए। कार्यालय के किसी कार्मिक के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए इस हेतु यथावश्यक प्रयास किये जाएं।

सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु आवंटित कार्य, अन्य विभागीय आवंटित कार्यो की भांति है। यदि अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु लोक सूचना अधिकारी के द्वारा लगातार लापरवाही वरती जा रही है तो ऐसी स्थिति में उक्त का संज्ञान प्रशासनिक स्तर से विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा लिया जाना चाहिए। यदि अपीलीय अधिकारी ऐसा पाते है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर बार–बार अनुरोधकर्ताओं को समय से सूचना प्रदान करने में लापवाही की जा रही है और उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी पृथक से लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी को उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति कर सकते हैं अथवा उनके वार्षिक चरित्र पंजिका के अंकन के समय इन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को द्वारा सूचना प्रदान किये जाने हेतु पटल सहायकों से धारा 5(4) में सहयोग मांगे जाने पर पटल सहायकों के द्वारा लोक सूचना अधिकारी की सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे पटल सहायकों के विरूद्ध भी पृथक से प्रशासनिक स्तर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्राप्त होने वाली प्रथम अपील का निस्तारण उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार किये जाने हेतु समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
RADHA RATURI
Date: 16-10-2025
12:53:58

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक / उ0सू0अ0 / 2025–26 दिनांक 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त